कोयला व सेस से खान विभाग मालामाल, रिकॉर्ड 18508 करोड़ राजस्व मिला

सुनील चौधरी, रांची

खनन भूमि पर सेस और कोयले की कॉमर्शियल दर पर रॉयल्टी से खान विभाग मालामाल हो गया है. विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 (30 मार्च तक) में रिकॉर्ड 18508 करोड़ की वसूली की है. यह संयुक्त बिहार और झारखंड गठन से लेकर अब तक का सर्वाधिक राजस्व है. पिछले वर्ष की तुलना में 6660.57 करोड़ अधिक राजस्व वसूली हुई है. विभाग ने वर्ष 2025-26 में 21900 करोड़ रुपये राजस्व वसूली का लक्ष्य रखा था. विभागीय अधिकारियों का कहना है कि 31 मार्च को अवकाश होने की वजह से फाइनल आंकड़ा नहीं आ पाया. अप्रैल के पहले सप्ताह में फाइनल आंकड़ा आ जायेगा, तब लक्ष्य के करीब राजस्व हो सकता है.

खनन भूमि पर सेस से मिली बड़ी रकम : राजस्व में खनन भूमि पर लगाये गये सेस का बड़ा योगदान है. सेस से 7454.30 करोड़ रुपये मिले हैं. वहीं, खनिजों पर रॉयल्टी से 11054.27 करोड़ रुपये मिले हैं. द झारखंड मिनरल बियरिंग लैंड सेस रूल-2024 के तहत खनिज धारित भूमि पर सेस की दर भी बढ़ायी गयी है. बॉक्साइट धारित भूमि पर सेस की दर 116 रुपये प्रति टन की दर से बढ़ाकर नन मेटालर्जिकल बॉक्साइट की दर 180 रुपये प्रति टन की गयी है. वहीं, मेटालर्जिकल ग्रेड के बॉक्साइट पर लंदन मेटल एक्सचेंज की दर का दो प्रतिशत सेस लिया जा रहा है. यह लगभग दो हजार रुपये प्रति टन होता है. वहीं, कोयला 450 प्रति टन, लौह अयस्क पर 600 रुपये प्रति टन, लाइमस्टोन पर 100 रुपये प्रति टन तथा सोना, तांबा व सीसा पर लंदन मेटल एक्सचेंज की दर से दो प्रतिशत से 8.5 प्रतिशत तक लिया जा रहा है. दूसरी ओर रॉयल्टी की दर में भी बदलाव किया गया है. इसकी बड़ी वजह पावर प्लांटों को दिये जाने वाले कोयले पर भी बाजार दर के अनुसार रॉयल्टी की वसूली को माना जा रहा है. राज्य सरकार एक अप्रैल 2025 से ही कोयले पर बाजार दर के अनुसार रॉयल्टी वसूल रही है.

किस वर्ष कितने राजस्व की वसूली

वर्ष	राजस्व (करोड़ में)
2018-19	5978.97
2019-20	5165.82
2020-21	4888.37
2021-22	7477.42
2022-23	9798.40
2023-24	10407.95
2024-25	11848.15

चाईबासा में सबसे अधिक 3375.83 करोड़ की वसूली

कुल राजस्व में इस बार भी चाईबासा में सर्वाधिक 3375.83 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. वहीं, धनबाद में 2784.44 करोड़ रुपये की वसूली हुई है. हजारीबाग में 2341.42 करोड़ व पाकुड़ में 2132.64 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली हुई है. इसके अलावा रांची में 282.24 करोड़ रुपये की वसूली हुई.

शराब से कमाई के पिछले सभी रिकॉर्ड टूटे एक साल में ₹1310 करोड़ बढ़ा राजस्व

सुनील कुमार झा, रांची

राज्य में शराब से राजस्व का पिछला सभी रिकॉर्ड टूट गया. वित्तीय वर्ष 2025-26 में लक्ष्य से अधिक राजस्व वसूली हुई. पिछले वर्ष की तुलना में राजस्व में 1310 करोड़ से अधिक की बढ़ोतरी हुई. उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग ने वर्ष 2025-26 के लिए 3885.11 करोड़ का राजस्व निर्धारित किया था. विभाग को 30 मार्च तक 4020 करोड़ राजस्व मिला, जो लक्ष्य से 135 करोड़ अधिक है. वर्ष 2024-25 में 2710 करोड़ राजस्व मिला था. विभाग ने वर्ष 2026-27 के लिए 4273 करोड़ राजस्व निर्धारित किया है. इससे पहले एक वर्ष में राजस्व में सबसे अधिक वर्ष 2019-20 में 927 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी हुई थी. इस वर्ष शराब से 2009.19 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ था.

जानिये शराब से राजस्व बढ़ोतरी का ट्रेंड

- पहले पांच साल में 101 करोड़ से 157 करोड़ पहुंचा
- **अगले आठ साल में 500 करोड़ के पार पहुंचा**
- वर्ष 2018-19 में पहली बार एक हजार करोड़ राजस्व मिला
- **वर्ष 2019-20 में पहली बार दो हजार करोड़ राजस्व मिला**

पिछले पांच वर्षों में शराब से प्राप्त राजस्व

वर्ष	राजस्व (करोड़ में)
2020-21	1821.18
2021-22	1806.60
2022-23	2056.92
2023-24	2376.10
2024-25	2710.53
2025-26	4020 (इसमें आंशिक बदलाव संभव है)

इस वर्ष राजस्व पांच हजार करोड़ के पार होगा : मंत्री

उत्पाद मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने कहा है कि वर्ष 2025-26 में लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है. वित्तीय वर्ष 2026-27 में इसे पांच हजार करोड़ के पार ले जायेंगे. इसके लिए शराब बिक्री की व्यवस्था को और दुरुस्त करेंगे. शराब की अवैध बिक्री रोकने के लिए और कड़ी निगरानी की जायेगी. इसके लिए गृह विभाग से 100 कांस्टेबल व सब इंस्पेक्टर की मांग की गयी है. राज्य में इस वर्ष 583 उत्पाद सिपाही की भर्ती भी होगी.

परिवहन विभाग ने की 2196.66 करोड़ रुपये राजस्व की वसूली

रांची. परिवहन विभाग ने राज्य गठन से लेकर अब तक सर्वाधिक राजस्व की वसूली की है. वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग की वसूली 2196.66 करोड़ रुपये रही, जो वित्तीय वर्ष 2024-25 से 282 करोड़ अधिक है. इस साल विभाग का लक्ष्य 2400 करोड़ रुपये वसूली का था, जो पिछले वित्तीय वर्ष से 600 करोड़ रुपये अधिक था. आरटीओ, डीटीओ, ई चालान आदि से इस बार सर्वाधिक वसूली हुई है. हाल के महीनों में राजस्व वसूली में काफी तेजी लायी गयी थी. वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में विभाग ने वसूली तेज की थी. परिवहन विभाग के सचिव राजीव रंजन ने कहा कि राजस्व की अधिक वसूली विभागीय अधिकारियों की टीम के संयुक्त प्रयास से हुई है. सारे जिलों में अधिकारी मेहनत से इस कार्य में लगे रहे. नये साल में इससे भी अधिक राजस्व की वसूली होगी.

किस वर्ष कितनी वसूली हुई

वित्तीय वर्ष	वसूली
2011-12	411
2012-13	457
2013-14	505
2014-15	612
2015-16	623
2016-17	682
2017-18	780
2018-19	831
2019-20	1124
2020-21	981
2021-22	1262
2022-23	1574
2023-24	1759
2024-25	1914.70
2025-26	2196.66

(राशि करोड़ में)

देखते ही देखते जमींदोज हो गये तीन घर, पिता-पुत्री समेत तीन दबे

कतरास (धनबाद). बीसीसीएल गोविंदपुर क्षेत्र के अग्नि प्रभावित सोनारडीह टंडाबाड़ी बस्ती में मंगलवार की शाम करीब साढ़े छह बजे जोरदार आवाज के साथ तीन घर जमींदोज हो गये. वहीं तीन घर क्षतिग्रस्त हो गये. घटना में पिता-पुत्री समेत तीन लोग मलबे में दब गये.दबनेवालों में मोनू उरांव (50), उनकी बेटी गीता कुमारी (16) और परशुराम उरांव की पत्नी सरिता देवी (45) शामिल हैं. मोनू उरांव का घर करीब 15 फीट धंस गया. सरिता अपने पड़ोसी मोनू के घर गयी थीं. इसी दौरान हादसा हुआ और वह भी मलबे में दब गयीं. घटना में गणेश रजवार, बैसाखी देवी और सुफल उरांव के घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं. हादसे के बाद लोग अपने परिजनों की तलाश में इधर-उधर भागते नजर आये. इधर, घटना के विरोध में सोनारडीह ओपी के पास लोगों ने धनबाद-बोकारो फोरलेन सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया. इस दौरान ओपी में जमकर पथराव भी किया. ओपी का बोर्ड व गेट क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि सड़क जाम से वाहनों की लंबी कतार लग गयी. लोगों ने प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. लोगों का उग्र तेवर देख सोनारडीह ओपी पुलिस ने जिले से फोर्स बुला लिया गया.

बाघमारा एसडीपीओ पीके सिंह, कतरास थानेदार प्रवीण कुमार, बैंक मोड़ थानेदार असित कुमार सिंह, रामकनाली ओपी प्रभारी संतोष कुमार रवि, सोनारडीह ओपी प्रभारी दिलीप पॉल के अलावा बरोरा, बाघमारा, धर्माबांध, महुदा, मधुबन थानों की पुलिस मौके पर पहुंच गयी.

क्विक बाइट्स

50 करोड़ के शराब घोटाले की सीबीआइ जांच करायी जाये

रांची. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने 750 करोड़ रुपये के शराब घोटाले को लेकर मंगलवार को राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की. श्री मरांडी ने राज्यपाल को पत्र सौंप कर एसीबी की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए पूरे मामले की जांच सीबीआइ से कराने की मांग की. पत्र में श्री मरांडी ने आरोप लगाया कि एसीबी भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के बजाय उन्हें संरक्षण दे रही है. उन्होंने राज्यपाल से मामले में हस्तक्षेप कर एसीबी को तुरंत चार्जशीट दाखिल करने का निर्देश देने की मांग की. उन्होंने कहा कि तत्कालीन उत्पाद सचिव विनय चौबे और अन्य मुख्य आरोपियों को सिर्फ इसलिए जमानत मिल गयी, क्योंकि एसीबी ने निर्धारित 90 दिनों के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं की.

राज्य के तीन जिलों में अनुदान की राशि लैप्स

रांची. राज्य के तीन जिलों के अनुदान की राशि लैप्स कर गयी. झारखंड वित्तरहित शिक्षा संयुक्त संघर्ष मोर्चा के रघुनाथ सिंह ने बताया कि पाकुड़, देवघर व दुमका जिला में राशि की निकासी नहीं हो सकी. इस कारण शिक्षण संस्थानों को अनुदान नहीं मिल पायेगा. मोर्चा ने अनुदान राशि लैप्स होने पर आक्रोश जताया है.

स्काई डाइविंग फेस्टिवल आज से दुमका में

रांची. झारखंड पर्यटन विभाग द्वारा जमशेदपुर के बाद अब दुमका में स्काई डाइविंग फेस्टिवल एक अप्रैल से शुरू किया जा रहा है. यह फेस्टिवल छह अप्रैल तक चलेगा. विशेषज्ञों की देखरेख में लोग 10 हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकेंगे. इस फेस्टिवल में शामिल होने के लिए इच्छुक व्यक्ति बुकिंग करा सकते हैं. मालूम हो कि जमशेदपुर के सोनारी एयरपोर्ट पर 21 से 29 मार्च तक स्काई डाइविंग का आयोजन किया गया था.

पांच को रांची आयेंगे तेजस्वी, तैयारी में जुटा राजद

रांची. राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव पांच अप्रैल को रांची आयेंगे. इनके स्वागत को लेकर प्रदेश राजद तैयारी में जुट गया है. प्रदेश प्रवक्ता कैलाश यादव ने बताया कि हरमू बाइपास स्थित कार्निवाल सेलिब्रेशन हॉल में स्वागत समारोह होगा.प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव, मंत्री संजय प्रसाद यादव और विधायक दल के नेता सुरेश पासवान आदि तैयारी में जुटे हैं. तेजस्वी यादव का स्वागत नागपुरी छऊ नृत्य और ढोल-नगाड़ों से किया जायेगा. इस मौके पर संगठन की मजबूती और आगामी रणनीतियों पर चर्चा की जायेगी.

पहले पेज से...

चुनौतियां हैं, पर...

भारत सरकार भी मामले को देख रही है. सीआइआइ समेत अन्य औद्योगिक संगठनों के साथ वार्ता कर राहत देने की कोशिश की जा रही है. सरकार ने गैस की समस्या को लेकर नियमों में बदलाव किया है, लेकिन यह सरकार के भी कंट्रोल में नहीं है. रोजगार जाने के बारे में पूछे गये एक सवाल पर नरेंद्रन ने कहा कि यह अस्थायी परेशानी है. इससे नौकरी जाने की संभावना कम है.

जमशेदपुर में टाटा स्टील की क्षमता का विस्तार संभव नहीं: नरेंद्रन ने जमशेदपुर प्लांट में विस्तार की बात से इनकार किया. कहा कि 1800 एकड़ जमीन पर 11 मिलियन टन का प्रोडक्शन हो रहा है, इससे ज्यादा संभव नहीं हो सकता है. डाउनस्ट्रीम और सीओ-2 एमिशन को लेकर निवेश होगा. ग्रीन स्टील बनाने के लिए तकनीकी में बदलाव पर भी निवेश होगा.

ग्राहक बनकर...

सोमवार को ही लाये थे सात से आठ लाख के गहने : दुकानदार विश्वनाथ दत्ता ने बताया कि बदमाश ने करीब 22 से 23 लाख के सोने के गहने गायब कर दिया. चोरी हुए पोटली में कुछ पूर्व के रखे गहने थे, तो कुछ ग्राहक के ऑर्डर के गहने थे. जबकि सात से आठ लाख का गहना मैंने हॉलसेलर से सोमवार को लाया था. ताकि उसे बेचकर हॉलसेलर को रुपये दे सकूं. अब कहां से इतने गहने और रुपये ला सकूंगा.

पुलिस ने खंगाला सीसीटीवी फुटेज : घटना की जानकारी मिलने पर उलीडीह थाना प्रभारी सारिक अली दलबल के साथ विश्वनाथ ज्वेलर्स पहुंचे. उन्होंने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरा के फुटेज की जांच की. फुटेज में बदमाश की तस्वीर पुलिस को मिली है. उक्त तस्वीर के आधार पर पुलिस बदमाश की तलाश में जुट गयी है.

उपभोक्ताओं को 50-55 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा

झारखंड में आज से महंगी होगी बिजली, टैरिफ की नयी दरें लागू

विशेष संवाददाता, रांची

झारखंड में एक अप्रैल से बिजली की नयी दर प्रभावी हो जायेगी. इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ बढ़ेगा. अप्रैल माह में जितनी भी बिजली की खपत होगी, उसका बिल नयी और बढ़ी हुई दर के आधार पर तैयार किया जायेगा, जिसका भुगतान उपभोक्ताओं को मई में करना होगा.

झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के उपभोक्ताओं को अब 50 से 55 पैसे प्रति यूनिट अधिक भुगतान करना होगा. 400 यूनिट से अधिक इस्तेमाल करने वाले शहरी घरेलू उपभोक्ताओं की दर 6.85 रुपये प्रति यूनिट से बढ़कर 7.40 रुपये प्रति यूनिट हो गयी है. वहीं, ग्रामीण उपभोक्ताओं की दर 6.70 रुपये से बढ़कर 7.20 रुपये प्रति यूनिट हो गयी है. वहीं, 201 से 400 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने पर 2.05 रुपये प्रति यूनिट की सब्सिडी दी जा रही है. यानी उनकी प्रभावी दर 5.35 रुपये प्रति यूनिट होगी. पूर्व में यह दर 4.80 रुपये प्रति यूनिट थी.

200 से 400 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों की दर 4.80 की जगह अब 5.35 रुपये प्रति यूनिट होगी

400 यूनिट से अधिक बिजली इस्तेमाल करनेवालों की दर अब 6.85 की जगह 7.40 रुपये प्रति यूनिट

पहले कितना था, अब कितना हुआ

श्रेणी	पहले (रुपये/यूनिट)	अब (रुपये/यूनिट)	बढ़ोतरी	फिक्स्ड चार्ज (प्रति माह)
ग्रामीण घरेलू	6.70	7.20	0.50	75
शहरी घरेलू	6.85	7.40	0.55	100
घरेलू एचटी (अपार्टमेंट)	6.40	7.20	0.80	200
कॉमर्शियल				
ग्रामीण (पांच किलोवाट से अधिक)	6.20	6.70	0.50	120
शहरी (पांच किलोवाट से अधिक)	6.70	7.30	0.60	200
एचटी (मॉल, अस्पताल, होटल)	7.30	8.00	0.70	400
सिंचाई (आइएएस)	5.30	5.30	00	50
एलटी इंडस्ट्रियल	6.10	6.60	0.50	150
एचटी इंडस्ट्रियल	5.90	6.40	0.50	400
स्पेशल एचटी	5.25	5.80	0.55	400

200 यूनिट मुफ्त बिजली का लाभ मिलता रहेगा

शहरी व ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए राज्य सरकार की घोषणा के अनुसार, 200 यूनिट तक बिजली खपत करनेवालों से कोई चार्ज नहीं लिया जायेगा. राज्य में ऐसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 39 लाख है.

डीवीसी क्षेत्र में बिजली हुई महंगी

औद्योगिक और व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर ज्यादा असर

विशेष संवाददाता, रांची

दामोदर वैली कॉरपोरेशन (डीवीसी) क्षेत्र के लिए वर्ष 2026-27 का नया बिजली टैरिफ आदेश जारी कर दिया गया है. नयी दरें एक अप्रैल से लागू हो गयी हैं. इस टैरिफ आदेश में ट्रू-अप, एपीआर तथा वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक के मल्टी इयर टैरिफ को शामिल किया गया है. झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष जस्टिस (रिटायर्ड) नवनीत कुमार ने डीवीसी टैरिफ आदेश जारी कर दिया है. नये टैरिफ के अनुसार अधिकांश श्रेणियों के उपभोक्ताओं पर बिजली दरों का अतिरिक्त भार बढ़ा है, जबकि घरेलू उपभोक्ताओं को मामूली राहत दी गयी है. कृषि एवं सिंचाई क्षेत्र में कोई वृद्धि नहीं की गयी है.औद्योगिक उपभोक्ताओं के लिए भी बिजली दरों में उल्लेखनीय वृद्धि की गयी है. नयी दरों के लागू होने से विशेष रूप से औद्योगिक व व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर बिजली खर्च का प्रभाव अधिक पड़ेगा. वहीं, घरेलू उपभोक्ताओं को सीमित राहत मिलेगी.

डीवीसी से जेबीवीएनएल को मिलने वाली बिजली भी महंगी : जेबीवीएनएल डीवीसी कमांड एरिया में डीवीसी से ही 500 से 600 मेगावाट बिजली प्रतिदिन खरीदकर आपूर्ति करता है. इसकी दर अब बढ़ गयी है. लाइसेंसी की दर 4.10 रुपये प्रति यूनिट से बढ़ाकर 5.75 रुपये प्रति यूनिट कर दी गयी है, जो 1.65 रुपये प्रति यूनिट अधिक है. इससे जेबीवीएनएल पर अतिरिक्त भार पड़ेगा. अभी जेबीवीएनएल डीवीसी से प्रतिमाह 160 से 180 करोड़ रुपये की बिजली खरीदता है. जेबीवीएनएल आकलन कर रहा है कि कितना भार पड़ेगा.

डीवीसी के कमांड एरिया : धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा, रामगढ़ और चतरा.

कितना बदलाव हुआ

- **घरेलू (एलटी डोमेस्टिक)** : 4.30 से घटकर 4.25 रुपये प्रति यूनिट, 0.05 रुपये की कमी.
- **व्यावसायिक (एलटी कॉमर्शियल)**: 4.30 से बढ़कर 4.80 रुपये प्रति यूनिट, 0.50 रुपये की वृद्धि.
- **कृषि/सिंचाई** : 5.30 रुपये प्रति यूनिट, कोई वृद्धि नहीं.
- **उद्योग (11 केवी)** : 4.20 से बढ़कर 6.00 रुपये प्रति यूनिट, 1.80 रुपये की वृद्धि.
- **उद्योग (33 केवी)** : 4.20 से बढ़कर 5.90 रुपये प्रति यूनिट, 1.70 रुपये की वृद्धि.

एलपीजी की सुचारू आपूर्ति के लिए कंट्रोल रूम बना, टोल फ्री नंबर जारी

रांची. खाड़ी देशों में जारी अशांति के मद्देनजर झारखंड सरकार ने राज्य में पेट्रोलियम पदार्थों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयारी कर ली है.

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग ने एलपीजी सिलेंडर, पेट्रोल और केरोसिन तेल की आपूर्ति से संबंधित शिकायतों के समाधान के लिए कंट्रोल रूम और कॉल सेंटर स्थापित किया है. खाद्य निदेशालय के नियंत्रण में स्थापित यह कंट्रोल रूम प्रतिदिन सुबह आठ बजे से रात आठ बजे तक क्रियाशील रहेगा. आम जनता आपूर्ति में बाधा या किसी भी तरह की कालाबाजारी की शिकायत टोल फ्री नंबर 1967 पर दर्ज करा सकती है.

भक्तों को दिये गये पुराने शीघ्रदर्शनम कूपन

देवघर. बाबा बैद्यनाथ मंदिर के शीघ्रदर्शनम प्रवेश द्वार पर सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गयी, जब कूपन स्कैन करने के बाद गेट खुलना बंद हो गया. एक के बाद एक तीनों गेटों पर यही स्थिति बनते ही श्रद्धालुओं के बीच फर्जी टिकट की चर्चा तेज हो गयी और हंगामा शुरू हो गया. स्थिति बिगड़ती देख इसकी सूचना मंदिर कंट्रोल रूम में तैनात दंडाधिकारी को दी गयी. मौके पर पहुंचे दंडाधिकारी कमलेश कुमार ने श्रद्धालुओं से संयम बरतने की अपील की और तत्काल मैन्युअल व्यवस्था लागू कर एक-एक कूपन की जांच कर श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश कराया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुए मंदिर प्रभारी एसडीएम रवि कुमार और सहायक मंदिर प्रभारी संतोष कुमार को सूचना दी गयी. वरीय अधिकारियों के निर्देश पर हुई जांच में पाया गया कि कूपन सिस्टम संचालित करने वाली एजेंसी की लापरवाही से गड़बड़ी हुई है. करंट रिचार्ज कूपन की जगह पुराने रिचार्ज कूपन को ही काउंटर तक भेज दिया गया, जिन्हें श्रद्धालुओं को जारी कर दिया गया. इस दौरान कुल 42 पुराने कूपन जारी किये गये. इससे शीघ्रदर्शनम का गेट नहीं खुला और मंदिर प्रबंधन को उन श्रद्धालुओं की मैन्युअल इंट्री करानी पड़ी. इससे मंदिर को प्रति कूपन 300 रुपये के हिसाब से 12,600 रुपये का सीधा नुकसान हुआ. श्रद्धालुओं ने व्यवस्था में पारदर्शिता और जिम्मेदार एजेंसी पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है.

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
(MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVT. OF INDIA)
क्षेत्रीय कार्यालय / REGIONAL OFFICE
भविष्यनिधि भवन, पानपोष रोड़, राउरकेला - 769012
Bhavishyanidhi Bhawan, Panposh Road, Roukela - 769012
E - mail : ro.rourkela@epfindia.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

ईपीएफ़ एवं ईपीएस सदस्यों के शिकायतों के निवारण के लिए आगामी मासिक "**निधि आपके निकट**" एवं "**पेंशन अदालत**" फेस टू फेस प्लेटफार्म **अप्रैल 2026 माह के लिए दिनांक - 10.04.2026 (शुक्रवार) प्रातः 11.00** बजे कर्मचारी भविष्य निधि संगठन, क्षेत्रीय कार्यालय, भविष्य निधि भवन, पानपोष रोड़, राउरकेला-769012 के सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया जाएगा। कर्मचारी भविष्य निधि के सदस्य गण एवं ईपीएफ / ईपीएस् पेंशनधारकों को यदि ईपीएफ़ / ईपीएस से संबन्धित कोई शिकायत है तो उनसे अनुरोध है कि वे अपना आवेदन / शिकायत पत्र, क्षेत्रीय कार्यालय, राउरकेला के **जन संपर्क अधिकारी (PRO)** के पास रखे, ड्रॉप बॉक्स में जमा करें या डाक के माध्यम से भेजें ताकि उक्त पत्र **दिनांक-03.04.2026** तक इस कार्यालय में प्राप्त हो जाये। अपने शिकायत पत्र में अपना पता एवं संपर्क हेतु फोन नंबर अनिवार्य रूप से दें। साथ ही इस कार्यालय को किये गए पिछले पत्राचार / आवेदन आदि की प्रतियां आवश्यक कार्यवाही/ रिकॉर्ड हेतु निश्चित रूप से संग्लन करें।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
क्षेत्रीय कार्यालय, राउरकेला

SAI/RKL/0022/26

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI

संपत्ति वसूली शाखा, जमशेदपुर
प्रसिद्ध टॉवर, टाटा कांड्रा मेन रोड, आदित्यपुर
जमशेदपुर, जिला– सरायकेला–खरसावाँ
ई–मेल : ARB.Jamshedpur@bankofindia.bank.in

ई–निलामी बिक्री सूचना
ई–नीलामी की तिथि : 08.05.2026

वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित अधिनियम, 2002 सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पढ़ा जाता है के तहत अचल संपत्तियों की बिक्री के लिए ई–नीलामी बिक्री सूचना। एतद द्वारा जन साधारण को सामान्यतः एवं ऋणियों तथा जमानतदारों को विशेष तौर पर सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी द्वारा निम्न वर्णित बंधक/प्रभारित सम्पत्तियों जो **बैंक ऑफ इंडिया** सुरक्षित ऋणदाता के प्राधिकृत अधिकारी ने सांकेतिक कब्जे में लिया है, इसकी ''ई–नीलामी'' द्वारा **''जहाँ है जैसा है, जो कुछ भी है''** के आधार पर **बैंक ऑफ इंडिया** सुरक्षित ऋणदाता की बकाया राशि वसुली के लिए विक्रय करने का निर्णय लिया गया है। सम्पत्तियों का विवरण, आरक्षित मूल्य एवं अग्रधन जमा राशि (EMD) का विवरण नीचे दिया गया है:

क्रम सं.	(ए) सुरक्षित ऋणदाता का नाम एवं पता (बी) ऋणकर्ता/जमानतदार का नाम एवं पता	अचल सम्पत्तियों का विवरण ज्ञात भारों सहित	बकाया राशि	1. आरक्षित मूल्य 2. अग्रधन जमा राशि (EMD) 3. बोली वृद्धि राशि
1.	(ए) बैंक ऑफ इंडिया, संपत्ति वसुली शाखा जमशेदपुर (बी) **मेसर्स इलिमेन्ट्रा फैबकोन एलएलपी**, होल्डिंग नं. 3, सीएच एरिया बिष्टुपुर, जमशेदपुर – 831001 **साझेदारः 1. श्री फजले हक खान** पुत्र– गुलाम खान, होल्डिंग नं. 10, रोड नं. 3, लाइन नं. 5, बी–ब्लॉक, धतकीडीह जमशेदपुर – 831001 **2. श्री सवेज अहमद,** पुत्र– जावेद अहमद एक्स. 48, रोड नं. 3, बी–ब्लॉक, लेक के सामने, धतकीडीह, जमशेदपुर–831001 **संपत्ति का पताः** श्री फजले हक खान, साई विहार, फ्लैट नं. 2/2, द्वितीय मंजिल, होल्डिंग नं. 5, हिल व्यू रोड, कुँज नगर सोनारी, जमशेदपुर–831011	साई विहार नामक भवन में द्वितीय मंजिल पर स्थित आवासीय फ्लैट संख्या 2/2, जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 1260 वर्ग फुट, हिल व्यू रोड, कुंज नगर, सोनारी में स्थित है। यह भवन पुराने खाता संख्या 38 के अंतर्गत पुराने प्लॉट संख्या 95 और 96 में है, जो नए प्लॉट संख्या 467 के भाग के अनुरूप है, खाता संख्या 477, थाना संख्या 1156, मौजा– सोनारी, वार्ड संख्या 1, जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति (जेएनएसी), डाकघर एवं पुलिस स्टेशन– सोनारी, जिला पूर्वी सिंहभूम, झारखंड में है। सेल डीड संख्या 693 दिनांक 19.02.2018 श्री फजले हक खान के नाम पर है। **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी : उत्तरः** ब्रांच रोड, **दक्षिण :** भूमि का शेष भाग, **पूर्व :** गली, **पश्चिम :** जी.पी. घोष का मकान। **वास्तविक चौहद्दी : उत्तरः** खुला आकाश, **दक्षिण :** खुला आकाश, **पूर्व :** सामान्य मार्ग, **पश्चिम :** फ्लैट संख्या डी–20	रु. 1,05,49,432.74 (रुपये एक करोड़ पाँच लाख उन्चास हजार चार सौ बत्तीस एवं पैसे चौहत्तर मात्र) एवं देय ब्याज तथा बैंक को देय अन्य खर्चे	1. आरक्षित मूल्य रु. 43,12,000.00 2. अग्रधन जमा राशि रु. 4,31,200.00 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000.00
2.	(ए) बैंक ऑफ इंडिया, संपत्ति वसुली शाखा जमशेदपुर (बी) **मेसर्स ओम प्रकाश अग्रवाल**, प्रोपराइटरः ओम प्रकाश अग्रवाल, शॉप नं. क्यू–4, एएमवाई, परसुडीह, पूर्वी सिंहभूम–831002 **संपत्ति धारकः श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल** फ्लैट नं. 505, 5वां तल, हेवन पैलेस, एमपी टॉवर के नजदीक, आदित्यपुर–831013 **संपत्ति का पताः श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल,** फ्लैट नं. 501, 5वां तल, ए–ब्लाक, सन रेजिडेंसी, गम्हरिया, सरायकेला–खरसावाँ, झारखण्ड–832108	'सन रेजिडेंसी' के परिसर में स्थित ब्लॉक 'ए' नामक भवन की 5वीं मंजिल पर फ्लैट संख्या 501 स्थित भूमि संपत्ति, जिसमें लिफ्ट की सुविधा है और जिसका सुपर बिल्ट अप एरिया 1280 वर्ग फुट है, जिसमें बेडरूम, ड्राइंग कम डाइनिंग रूम, किचन, शौचालय–बाथरूम, बालकनी शामिल हैं, और 180 वर्ग फुट क्षेत्रफल वाली अविभाजित आनुपातिक आवासीय भूमि पर अधिकार है, जिसमें एक कार पार्किंग की जगह है, जो मौजा बड़ा गम्हरिया, पुलिस स्टेशन आदित्यपुर, थाना संख्या 66, पुराना वार्ड संख्या 11, नए वार्ड संख्या 6 (ए.एन.ए.सी.) के अनुरूप है। पुराना प्लॉट संख्या 198, 202, नया प्लॉट संख्या 635, 638, पुराना खाता संख्या 178, 515, नया खाता संख्या 2, 26, जिला सरायकेला–खरसावां, जिला सराइकेला स्थित उप–पंजीकरण कार्यालय में सेल डीड संख्या 2329 दिनांक 16.11.2017 के तहत श्रीमती संतोष देवी अग्रवाल के नाम पर संपत्ति हस्तांतरित की गई थी। **सेल डीड के अनुसार चौहद्दी : उत्तरः** खाली भूमि और उसके बाद चहारदीवारी, **दक्षिण :** फ्लैट संख्या 502, **पूर्व :** साझा गलियारा, **पश्चिम :** सड़क। **वास्तविक चौहद्दी : उत्तरः** खुला क्षेत्र, **दक्षिण :** फ्लैट संख्या 502, **पूर्व :** साझा गलियारा, **पश्चिम :** खुला क्षेत्र	रु. 1,31,15,070.43 (रुपये एक करोड़ एकत्तीस लाख पन्द्रह हजार सत्तर एवं पैसे तेरालीस मात्र) एवं देय ब्याज तथा बैंक को देय अन्य खर्चे	1. आरक्षित मूल्य रु. 29,70,000.00 2. अग्रधन जमा राशि रु. 2,97,000.00 3. बोली वृद्धि राशि रु. 10,000.00

नीलामी ऑनलाइन पोर्टल https://www.baanknet.in के माध्यम से होगी
ई–नीलामी की तिथि एवं समय : दिनांक : 08.05.2026, समय : प्रातः 10.00 बजे से शाम 5.00 बजे तक प्रत्येक 10 मिनट असीमित विस्तार के साथ
ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि : 07.05.2026 को शाम 5.00 बजे तक, संपत्ति निरीक्षण की तिथि और समय : शाखा अधिकारियों से परामर्श के बाद 07.05.2026 को या उससे पहले।

नियम एवं शर्तें : 1. बिक्री की विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए कृपया बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट https://www.bankofindia.bank.in और https://www.baanknet.in को देखें। 2. सफल बोलीदाता को बिक्री राशि का 25% राशि (EMD जमा राशि को जोड़कर) तुरंत उसके पक्ष में बिक्री स्वीकृत होने पर जमा करना होगा। शेष 75% राशि 15 दिनों के अंदर जमा करनी होगी, अगर इस दौरान वह राशि जमा करने में असमर्थ होता है तो बिक्री रद्द हो जायेगी और उसके द्वारा जमा राशि जब्त कर ली जायेगी। अधिक जानकारी के लिए कृपया सम्पर्क करें : श्री संजीव कुमार – मोबाईल नं. 7979969734 या श्री राजेश कुमार सिंह – मोबाईल नं. 9060673719

नोट : यह ऋणी और जमानतदारों के लिए भी एक सूचना है

दिनांक : 30.03.2026, स्थान : जमशेदपुर
नोट : त्रुटि/विवाद की स्थिति मे अग्रेजी पाठ मान्य होगा
ह./– प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया